(नियम 26)

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, श्री महेश कुमार झुंझुनू

बनाम

1. श्री विकास पुत्र मोतीलाल गोयनका, मै0 लविना एजेन्सीज, राणी सती मन्दिर के पास झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।
2. मै0 हिन्दुस्तान कोकोकोला बेबरेजेज प्रा. लि., कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर।

प्रार्थना पत्र खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम **प्रकरण संख्या– 36/2016**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31.03.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं विद्वान अधिवक्ता अनावेदकगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं न्यायिक दृष्टान्त का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अनावेदक/अभियुक्त संख्या 1 का कथन है कि अनावेदक ने मै0 लविना एजेन्सीज, राणी सती मन्दिर के पास झुन्झुनू के नाम से कोल्ड ड्रिक्स की एजेन्सी ले रखी है। जहाँ पर कोल्ड ड्रिन्क (मैंगोमाजा) अनावेदक फर्म हिन्दुस्तान कोकोकोला बेबरेजेज प्रा. लि. कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर से स्थानीय बाजार में वितरित करने के लिए आती है अनावेदक स्वयं कोल्ड ड्रिक्स तैयार नही करता है। साथ ही अनोवदक संख्या 1 ने कोल्ड ड्रिक्स खरीद के पक्के बिल प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसे धारा 26 (2) (II) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./1998/एक्ट/2016/2845/ दिनांक 10.08.2016 के अनुसार खाद्य पदार्थ कोल्ड ड्रिन्क (मैंगोमाजा) मिस ब्रांण्डेड पाया गया है। जो एफ.एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) के उल्लंघन में आता है। चूँकि अधिवक्ता अनावेदक संख्या 1 ने कोल्ड ड्रिन्क (मैंगोमाजा) खरीद के पक्के बिल प्रस्तुत किए है। तथा अनावेदक सख्या 2 निर्माता फर्म है। अतः प्रकरण में खाद्य पदार्थ कोल्ड ड्रिन्क (मैंगोमाजा) के मिसब्रान्ड पाये जाने की स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक संख्या–2 मै0 हिन्दुस्तान कोकोकोला बेबरेजेज प्रा.लि0 , कालाडेरा, तहसील चौमू जिला जयपुर को धारा 26 की उपधारा (2) (II) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक को 30,000/– तीस हजार रूपये अर्थदण्ड/ जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवाये। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अति. जिला कलक्टर झुंझुनू Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.04.08 18:19:00 IST Reason: SelfAttested	